

अदालत

नाम न्यायालय

केस संख्या

१५१ १०३/१५

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही

१२-२-१८

आज्ञा विस्तृत रूप से

पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता उपस्थित।
 न्यायालय समक्ष में वाद/अधिवक्ता से आर्क
 दिलावस्त गइ। उपस्थित नहीं। वाद उत्तर
 वादी/अधिवक्ता वाले उपस्थित नहीं होने
 पर उत्तरी वाद अधिन धरने। अधिन धरने
 में खारीज किया जाता है। फावली
 केवल शुभ होकर गठक में धरने हो।
 निर्णय सहे उजलाए कुतारा उपा।

रम खण्ड अधिकारी
 (जयपुर (प्रथम), जयपुर)